रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042023-245507
CG-DL-E-28042023-245507

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2023/वैशाख 7, 1945**
No. 258]	**NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2023/VAISAKHA 7, 1945**

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय)

(क्षेत्र संकार्य प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 320(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ड्राइवर (विशेष श्रेणी) पद भर्ती नियम, 2012 का अधिक्रांत करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, ड्राइवर (विशेष श्रेणी) भर्ती नियम, 2023 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**: उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि से अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर	चयन पद है या अचयन पद ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	1*(2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	स्तर-6 (35400रु0 - 122400 रु0) ।	अचयन ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यता ।	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होंगी ।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो ।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे द्वारा या प्रोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, उसकी सरंचना क्या है ।	वे परिस्थितियों जिनमे भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा ।	**प्रोन्नति** : क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, मे स्तर-5 (29200-92300/-) ड्राइवर ग्रेड – **I** जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति पर विचार करने के लिए जो निम्नलिखित से मिलकर बनती है :- 1. उप महानिदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, मुख्यालय कार्यालय	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नही है ।

	मैट्रिक्स ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो। **टिप्पण -** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	- अध्यक्ष ; 2. उप निदेशक (प्रशासन), क्षेत्र संकार्य प्रभाग, मुख्यालय कार्यालय – सदस्य ; 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, मुख्यालय कार्यालय – सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए जो निम्नलिखित से मिलकर बनती है :- 1. उप महानिदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, मुख्यालय कार्यालय - अध्यक्ष ; 2. उप निदेशक (प्रशासन), क्षेत्र संकार्य प्रभाग, मुख्यालय कार्यालय – सदस्य ; 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, मुख्यालय कार्यालय – सदस्य।	

[फा. सं. ए -12018/10/2020-जेसीएम (ई-30915)]

नवीन कुमार,अवर सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(National Sample Survey Office)

(FIELD OPERATIONS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2023

G.S.R. 320(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Field Operations Division, National Sample Survey Office, Driver (Special Grade) Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Driver (Special Grade) in the Field Operations Division, National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Office, Field Operations Division, Driver (Special Grade) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix. –** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Driver (Special Grade).	1* (2023) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 6 (₹35400-112400).	Non-Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion.	**Promotion**: Driver Grade-I in the Field Operations Division, National Sample Survey Office in level – 5 (₹29200-92300/-) in the pay matrix with three years service in the grade rendered after appointment	Group ‘B’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- **1.** Deputy Director General, Field Operations Division, Headquarter Office - Chairman; **2.** Deputy Director	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	thereto on a regular basis. **Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(Administration), Field Operations Division, Headquarter Office – Member; **3.** Senior Administrative Officer / Administrative Officer, Field Operations Division, Headquarter Office - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- **1.** Deputy Director General, Field Operations Division, Headquarter Office - Chairman; **2.** Deputy Director (Administration), Field Operations Division, Headquarter Office – Member; **3.** Senior Administrative Officer / Administrative Officer, Field Operations Division, Headquarter Office - Member.	

[F. No.A-12018/10/2020-JCM (E-30915)]

NAVEEN KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA